

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारी:-श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 31/17 प्रार्थना पत्र

उनवान

- 1 भैरुनाथ आत्मज हेमनाथ जोगी नाबालिग बविलायत जरिये संरक्षक माता सीता बेवा हेमनाथ निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2 डालुनाथ आत्मज हेमनाथ जोगी नाबालिग बविलायत जरिये संरक्षक माता सीता बेवा हेमनाथ निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3 तारा पुत्री हेमनाथ जोगी नाबालिग बविलायत जरिये संरक्षक माता सीता बेवा हेमनाथ निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सीता बेवा हेमनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. मूलनाथ आत्मज भीमानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. गोर्धननाथ आत्मज भीमानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. भौली बेवा भीमानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. उदय रावल आत्मज देवा रावल निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नैनानाथ आत्मज कालुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बादुनाथ आत्मज कालुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. हेमा रावल आत्मज भंवर रावल निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. मु० पुष्पा पत्नि जगदीश रावल निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सुवा आत्मज पेमा रावल निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. नैनानाथ आत्मज भुरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. काननाथ आत्मज भुरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. मोहन आत्मज हमीर जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. वृन्दानाथ आत्मज गोधावन निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. कुकावन आत्मज गोधावन निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. नैनु आत्मज छोगावन जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. लक्ष्मण आत्मज छोगावन जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. लालु आत्मज दुदा जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. लच्छु आत्मज दुदा जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. मु० प्यारी बेवा मांगु रावल निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. नैना आत्मज भुरा रावल निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. नारायण आत्मज राजु गर्जर निवासी बागड तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19. उदा आत्मज दीपा जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 29.05.2017


पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प बागड मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम मियाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 184 रकबा 0.62 हे0, आराजी संख्या 189 रकबा 0.47 है0 आराजी संख्या 194 रकबा 0.15 हे0 195 रकबा 0.07 है0 आराजी संख्या 197 रकबा 0.22 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.53 है0 भूमि खाता संख्या 208 पर स्थित है इसी प्रकार ग्राम मियाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 19 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त कि आराजीयात संख्या 165 रकबा 0.21 हे0, आराजी संख्या 167 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 207 रकबा 0.37 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.89 है0 खाता संख्या 132 पर स्थित है व प्रमाण में नकल जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 तक मय नकशा ट्रेस प्रस्तुत है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के कोई मुश्तकील निशानात नही होने की वजह से प्रार्थीगण को काश्त करने काश्त लाभ प्राप्त करने मवेशी वगैरा चराने घास काटने, मे दरमीयान सीमा का विवाद होता रहता है। जिससे प्रार्थीगण की अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या एक लगायत अठारह हम प्रार्थीगण कि उक्त वर्णीत अराजीयात के पडोसी होने से तथा विपक्षी संख्या 19 राजस्व खाता संख्या 132 मे अंकित आराजीयात कुल किता 3 कुल रकबा 0.89 है0 का सहखातेदार होने से व प्रार्थी बनने से इन्कार करने से उसे तरदीदी पक्षकार विपक्षी बनाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा कई बार विपक्षीगण को उनकी कृषि आराजियात की पत्थरगढी बाबत् कहा परंतु विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे व अंतिम बार प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को उनकी कृषि आराजियात की पत्थर गढी करवाने बाबत् दिनांक 09.11.2016 को कहा तो विपक्षीगण इंकार हो गए, जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 22.02.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 से 13 एवं 16, 18, 19 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 14,15,17 के विरुद्ध प्रार्थीगण के अधिवक्ता कोई कारवाई नही चाहते है वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश


प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार ग्राम मियाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 184 रकबा 0.62 हे0, आराजी संख्या 189 रकबा 0.47 है0 आराजी संख्या 194 रकबा 0.15 हे0 195 रकबा 0.07 है0 आराजी संख्या 197 रकबा 0.22 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.53 है0 भूमि खाता संख्या 208 पर स्थित है इसी प्रकार ग्राम मियाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 19 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त कि आराजीयात संख्या 165 रकबा 0.21 हे0, आराजी संख्या 167 व रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 207 रकबा 0.37 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.89 है0 खाता संख्या 132 पर स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम

न्यायालय में चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर में रूपये 800/- अक्षरे आठ सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 800/- अक्षरे आठ सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें


साधुराम जाट 29/5/17
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 29.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा